


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज घासीराम बनाम विमल कुमार 417/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00393)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.19	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रुक रुककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2017 से विचाराधीन चल रहा है तथा अपीलान्ट के अधिवक्ता पूर्व में भी अनुपस्थित रहे हैं तथा इसके लिये उन्हें अंतिम अवसर भी दिया गया है इसके बावजूद भी अपीलान्ट की ओर से आज भी न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती उचित प्रतीत होती है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (के०सी०वर्मा) संभागीय अधिवक्ता जयपुरपुर </p>	